<u>न्यायालय जिला जज, जौनपुर।</u>
प्रकीर्णवाद सं–165/2018
कृष्ण बहादुर सिंह———बनाम——— राष्ट्रीय राजमार्ग

<u>13.07.2022</u>

पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पक्षकार उपस्थित है। प्रार्थी की ओर से 5ग प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र 6ग अन्तर्गत धारा 34 माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रश्नगत आवार्ड पारित होने के पश्चात उसकी नकल लेकर उच्च न्यायालय में याचिका सं0 18052/2018 कृष्णबहादुर व अन्य बनाम भारत संघ प्रस्तुत की गयी थी। दिनांक 31.05.208 को इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया और प्रार्थी के द्वारा विधिक सलाह पर विश्वास करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही की गयी थी। अतः ऐसी स्थिति में धारा 34(3) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा करने की याचना की गयी।

विपक्षी द्वारा आपत्ति की गयी तथा कथन किया गया है कि धारा 14 परिसीमा अधिनियम मामले पर लागू नहीं होगी क्योंकि प्रार्थी के द्वारा अलग से कोई प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत नहीं दिया गया है।

प्रस्तुत किये गये तर्क के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अभिनिर्णय दिनांक 15.07.2014 और 11.07.2014 के विरूद्ध दिनांक 31.05.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र 5ग में दिनांक 21.05.2018 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देने का उल्लेख किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति कागज सं0 10ग/3 पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34– माध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। जिसकी उपधारा 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि –"पंचाट अपास्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र, उस तारीख से जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम पंचाट प्राप्त किया था, यदि अनुरोध धारा 33 के अन्तर्गत किया गया है तो उस तारीख से जिसको माध्यस्थम अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, वह 3 मास के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।"

इस धारा के परन्तुक में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन माह की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह 30 दिन की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा किन्तु इसके पश्चात् नहीं।

विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ गोवा बनाम मेसर्स वेस्टर्नस विल्डर्स ए0आई0आर 2006 सुप्रीम कोर्ट 2525** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 43 के परिपेक्ष्य में परिसीमा अधिनियम की धारा 14 प्रकरण में लागू होगी तथा प्रार्थी के द्वारा सदभावनापूर्वक उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही करने में लगे समय का अवधि की गणना करने में अपवर्जन किया जायेगा। इस विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचाट से सम्बन्धित मामले में भी धारा 14 परिसीमा अधिनियम में प्रासांगिक होने तथा मामले में लागू होने का निष्कर्ष दिया है।

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत अवार्ड के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा सदभावनापूर्वक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही की जाती रही तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.

05.2018 के द्वारा याचिका निरस्त किये जाने के 10 दिनों के अन्दर पंचाट को निरस्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः विधिक प्रावधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष्य में प्रार्थी को समय सीमा का लाभ दिया जाना उचित होगा। तदनुसार प्रार्थना पत्र 5ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत देरी माफी प्रार्थना पत्र 5ग स्वीकार किया जाता है तथा अवार्ड निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 18.07.2022 को पेश हो। उभय पक्ष नियत को उपस्थित हों।

जिला जज,
जौनपुर।
13.07.2022

Digitally signed by Vani Ranjan Agrawal
Date: 2022.07.13 16:36:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court